66477/2023

संख्याः 166477/ XXVII(7)/2023 / E-61402 / 2023

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस0 सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून, दिनांकः २8 नवम्बर, 2023**

विषयः– राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निविदा आंमत्रित किये जाने के उपरान्त निविदा प्रक्रिया का सम्यक् अनुपालन किए जाने एवं सम्यक् कारणों के बिना निविदा निरस्त न किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समय–समय पर शासन के समक्ष कुछ ऐसे मामले आये हैं, जिनमें सम्बन्धित विभागों के अन्तर्गत निविदा आमन्त्रित किये जाने के पश्चात् तकनीकी निविदा / वित्तीय निविदा का मूल्यांकन किये जाने के उपरान्त बिना किन्हीं ठोस कारणों के निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा आंमत्रित किए जाने पर उसे मा0 न्यायालय में चुनौती दी गई है। ऐसे प्रकरणों में समय के साथ–साथ राजकीय एवं लोक संसाधनों का अनावश्यक रूप से अपव्यय होता है जो कि सर्वथा परिहार्य है। उल्लेखनीय है कि अधिप्राप्ति का मौलिक सिद्धान्त है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

2– इस सम्बन्ध में संज्ञानित कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–166 / एम0बी0 / 2023 मै0 महालक्ष्मी कन्सट्रक्शन बनाम ब्रिडकुल एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांकः 14.07.2023 में निविदा प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब, अकारण निविदा निरस्तीकरण, अनुबंध गठन में विलम्ब आदि स्थितियों का संज्ञान लेते हुए एतद्विषयक सम्यक् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3– यह भी अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–43 / xxvii(7) / 2007टी0सी0 दिनांकः 29 जनवरी, 2021 द्वारा निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही की समय–सारणी निर्गत की गयी है। शासनादेश संख्या–11 / xxvii(7) / 32(01) / 2021 दिनांकः 04 जनवरी, 2022 एवं संख्या–76221 / xxvii (7) / ई–32618 / 2022 दिनांकः 16 नवम्बर, 2022 द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत क्रियाविधि पोर्टल (PGM portal) के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासनादेश संख्या–50480 / xxvii(7) / ई–32614 / 2022 दिनांकः 18 जुलाई, 2022 एवं शासनादेश संख्या– 108721 / xxvii(7) / ई–50742 / 2021 दिनांकः 23 मार्च, 2023 द्वारा समस्त

/2023 सरकारी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों में निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर अनुबंध की प्रति अनिवार्य रूप से ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

4– अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्तों, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकः 14.07.2023 एवं उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–43/xxvii(7)/2007टी0सी0 दिनांकः 29 जनवरी, 2021 को अधिक्रमित करते हुए निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत सामग्री/निर्माण कार्य/सेवाओं हेतु निविदा प्रकाशित होने के उपरान्त प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही की 'अधिकतम समय–सीमा' निम्नवत् सारणी के अनुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र. सं.	विवरण	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निविदा **International Competitive Bidding**	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निविदा **National Competitive Bidding**
1.	निविदा प्रकाशन की तिथि	T	T
2.	प्रलेख डाउनलोड करने की तिथि	T+1	T+1
3.	पृच्छा प्रारम्भ करने की तिथि (Clarification Start Date)	T+2	T+2
4.	पृच्छा समाप्ति की अन्तिम तिथि (Clarification End Date)	T+13	T+13
5.	निविदा पूर्व बैठक की तिथि	T+14	T+14
6.	पृच्छाओं का उत्तर	T+21	T+21
7.	निविदा जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	T+21	T+21
8.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	T+42	T+35
9.	निविदा खोलने की तिथि	T+43	T+36
10.	निविदा मूल्यांकन समाप्ति की तिथि (तकनीकी और वित्तीय)	T+59	T+52
11.	कार्य आवंटन	T+87	T+80
12.	ई–पोर्टल में कार्य आवंटन अनुबंध का प्रकाशन	T+97	T+90

ii. इस सम्बन्ध में प्रस्तर–3 में उल्लिखित शासनादेशों यथा दिनांकः 04 जनवरी, 2022, दिनांकः 18 जुलाई, 2022 एवं दिनांकः 16 नवम्बर, 2022, दिनांकः 23 मार्च, 2023 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

iii. निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदादाताओं द्वारा की गयी शिकायतों/सुझावों का संज्ञान लेते हुए यथाप्रक्रिया कार्यवाही किये जाने हेतु निविदा समिति के सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यालय के

7/2023 वरिष्ठतम वित्त अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि बिना ठोस कारण के निविदा निरस्त न हो, यदि ऐसी स्थिति हो तो निरस्त किये जाने की स्थिति में प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लाया जाय।

iv. किसी सामग्री/निर्माण कार्य/सेवा की अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्कता पड़ने पर समुचित कारणों यथा यह जानकारी प्राप्त हो कि निविदादाताओं द्वारा किसी कूट–रचित योजना के अन्तर्गत निविदायें की गयी हैं अथवा एक ही समूह के द्वारा भिन्न–भिन्न निविदा के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निविदा को निरस्त किया जाय और इसके कारण को अभिलिखित किया जाए।

v. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–26 मानकीकृत निविदा (जहां उपलब्ध हों) के अभिलेख के अनुसार–शासन द्वारा अनुमोदित मानकीकृत निविदा के अभिलेखों का ही अधिप्राप्ति में उपयोग किया जायेगा। अधिप्राप्ति नियमावली के नियम–29 में R.F.P. (प्रस्ताव हेतु अनुरोध) की तैयारी एवं विषय–वस्तु के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार यदि निविदा समिति/समक्ष प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित निविदा अभिलेखों के इतर अभिलेखों का अधिप्राप्ति में उपयोग करते पाया गया, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध यथाप्रक्रिया अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना आवश्यक होगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने नियन्त्रणाधीन सभी विभागों और कार्यालयों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 03-11-2023 10:58:10

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
मुख्य सचिव।

संख्या–/66477/XXVII(7)/2023/E-61402/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 27-11-2023 16:22:15

(दिलीप जावलकर)
सचिव।